

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

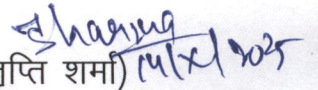
//आदेश//

क्रमांक ३५९/दो-11-17/2025

नर्मदापुरम,दिनांक 14/10/2025

मैं, तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2025 के पेज क्रमांक 30 की कंडिका 11 के पश्चात कंडिका 12 निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती हूँ :-

- 12- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के अवकाश पर रहने के दौरान प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकायें एवं पुनरीक्षण याचिकाओं के पंजीयन संबंधी आदेश विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम), नर्मदापुरम/मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।


(तृप्ति शर्मा) 14/10/2025
प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)

पृ० क्र. 3709 / सां०लि० / 2025

नर्मदापुरम,दिनांक 14/10/2025

कार्यविभाजन आदेश 2025 में किये गये आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 03- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
 - 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
 - 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वास्ते - प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म0प्र0)